शुक्ला वी। भारत संघ और अन्य (4), और भारत संघ और अन्यएल वेंकटरमन आदि, (5)।

नतीजतन, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि मैं याचिकाकर्ता और नियमित कर्मकार की श्रेणी से संबंधित अन्य कामगार अधिवषता की आयु अर्थात 60 वर्ष प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होंगे और 58 वर्ष की आय् प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं होंगे। चूंकि याचिकाकर्ता 31 दिसंबर, 1991 को अधिवषता की आयु प्राप्त कर रहा होगा, और 3 नवंबर, 1989 (अनुबंध पी -2) के आक्षेपित आदेश के अनुसरण में गलत तरीके से सेवा से सेवानिवृत किया गया है, इसलिए उसे तुरंत सेवा में वापस ले लिया जाएगा, और वह वेतन और भत्तों आदि के सभी बकाया के हकदार होंगे, जिसके वह हकदार होंगे। क्या उन्हें आक्षेपित आदेश के अनुसरण में सेवा से सेवानिवृत्त नहीं किया गया था? इस रिट याचिका की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, दिनांक 3 नवम्बर, 1989 (अनुलग्नक पी-2) और 20 नवम्बर, 1989 (अन्लग्नक पी-5) के आक्षेपित पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

ए. एल. बाहरी जे के समक्ष

पंजाब नेशनल बैंक - याचिकाकर्ता।

बनाम

राजेश कुमार जैन और अन्य, *उत्तरदाता। सिविल संशोधन सं.* 1990 का 2048।

11 फरवरी, 1991।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V)-O. 21, R. 90- धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमे या निष्पादन कार्यवाही में पक्षकार नहीं होने वाले व्यक्ति की आपत्तियां अदालत द्वारा खारिज कर दी गई - ऐसा आदेश अपील योग्य है - सीमा का कोई सवाल नहीं उठता है - धोखाधड़ी की दलील केवल तभी उठाई जा सकती है जब यह धोखाधड़ी किए गए व्यक्ति के ज्ञान मे बात आती है - साक्ष्य पर निर्धारित किया जाना - धोखाधड़ी की दलील को सुनवाई का अवसर दिए बिना सरसरी तौर पर निपटाया नहीं जा सकता है।

अदालत ने कहा कि विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान आपितकर्ता पंजाब नेशनल बैंक ऐसी आपितयां उठा सकता था जो संहिता के तहत इसकी पुष्टि होने से पहले बिक्री को रद्द करने के लिए विचार किया गया था। स्पष्ट उत्तर नकारात्मक है क्योंकि बैंक मुकदमे में या निष्पादन कार्यवाही में एक पक्ष न था और इस प्रकार संहिता के तहत विचार की गई ऐसी कोई आपित दर्ज करने की उम्मीद नहीं थी।

(पैरा 4)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि धोखाधड़ी हर कार्य या

कार्रवाई को प्रभावित करती है और धोखाधड़ी की दलील केवल तभी उठाई जा सकती है जब यह धोखा दिए गए व्यक्ति की जानकारी में आता है। इस तरह की याचिका जिसे साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना है, पार्टियों को इसे साबित करने का अवसर दिए बिना विचार नहीं किया जा सकता है या सरसरी तौर पर निपटा नहीं जा सकता है।

(पैरा 5)

चंडीगढ़ की जिला न्यायाधीश श्रीमती हरमोहिंदर कौर संधू की अदालत के 21 फरवरी 1990 के आदेश जिस में दिनांक 7 अक्तूबर, 1989 को विरष्ठ उप न्यायाधीश न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आपित याचिका को खारिज किए जाने की पुष्टि करते हुए 1990 में यह निर्णय लिया गया, में संशोधन के लिए सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका।

दावा: O. 21 R.90 सीपीसी के तहत आपित याचिका।
पुनरीक्षण में दावा: नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के
आदेश को पलटने के लिए।
याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं।
प्रतिवादी की ओर से श्री डी डी वर्मा, अधिवक्ता।

निर्णय

ए. एल. बहरी, जे. (मौखिक)

1) मनी डिक्री में निष्पादन में बिक्री की पुष्टि के बाद वर्तमान याचिकाकर्ता पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डिक्री धारक और निर्णय देनदार द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए आपत्तियां दर्ज की गई थीं, इन आपत्तियों का निपटान डिक्री धारक से जवाब प्राप्त होने पर, लेकिन बिना परीक्षण के किया गया था- वरिष्ठ उप न्यायाधीश, चण्डीगढ़ के 7 अक्टूबर 1989 के आदेश के तहतः, आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी गई थी कि बिक्री की पृष्टि के बाद बिक्री के लिए आपितयां विचार योग्य नहीं थीं। उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह सुनवाई योग्य नहीं था, लेकिन वरिष्ठ उप न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सिविल संशोधन सुनवाई योग्य था। इसलिए आपितकर्ता- पंजाब नेशनल बैंक द्वारा यह संशोधन याचिका।

- 2) जजमेंट देनदार ने पंजाब नेशनल बैंक से पर्याप्त मात्रा में कर्ज लिया था और विवाद वाली इमारत में बैंक किरायेदार है। बैंक को बकाया राशि 10 लाख रुपये बताई गई है।
- 3) राजेश कुमार ने 29 जुलाई, 1988 को जजमेंट देनदार मेसर्स प्रोग्रेसिव पॉली प्लास्ट कंपनी चंडीगढ़ के खिलाफ ब्याज के साथ 7,80,000 रुपये का फरमान प्राप्त किया। डिक्री के निष्पादन में, निर्णय देनदार की संपत्ति कुर्क की गई थी जो मनीमाजरा में दुकान-सह-कार्यालय है। इसे अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद डिक्री धारक द्वारा खरीदा गया था। 3 अगस्त, 1989 को बिक्री की पुष्टि की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक ने 19 अगस्त, 1989 को नागरिक प्रक्रिया संहिता (इसके

बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के O. 21 R. 90 के तहत आपितयां दर्ज कीं। धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था कि डिक्री धारक और निर्णय देनदार ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की, धोखाधड़ी की और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर संपित हस्तांतरित करने के उद्देश्य से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। आपितकर्ता इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं था और उसे तब पता चला जब डिक्री होल्डर ने 3 अगस्त, 1989 के वरिष्ठ उप न्यायाधीश के आदेश की प्रति के साथ 4 अगस्त, 1989 को बैंक को नोटिस जारी किया। इन आपितयों को चुनौती दी गई और आदेश नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित किए गए।

4) निष्पादन न्यायालय का दृष्टिकोण कि उचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बिक्री की पृष्टि के बाद, संहिता के O. 21 R. 90 के तहत इसे रद्द करने का कोई आवेदन किसी भी आधार पर सुनवाई योग्य नहीं था, जिसे आपितकर्ता वह तारीख जिस पर बिक्री की घोषणा तैयार की गई थी पर या उससे पहले ले सकता था। आगे संहिता के O. 21 R. 90 का उल्लेख किया गया था कि ऐसी किसी भी बिक्री को किसी भी आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए जिसे आवेदक बिक्री करने से पहले रख सकता था। विचारणीय प्रश्नयह है कि क्या वर्तमान आपितकर्ता पंजाब नेशनल बैंक बिक्री की पृष्टि होने से पहले रद्द करने के लिए ऐसी आपितयां उठा

सकता था जैसा कि संहिता में विचार किया गया था। स्पष्ट उत्तर नकारात्मक है क्योंकि बैंक म्कदमे में या निष्पादन की कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था और इस प्रकार अधिनियम के तहत विचार की गई ऐसी कोई आपित दर्ज करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान मामले में, बैंक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है धोखाधडी के परिणामस्वरूप होने वाली बिक्री को रद्द करने के लिए । सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस संदर्भ में पांड्रंगन और एक अन्य बनाम दासू रेड्डी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय और नकुल चंद्र दता बनाम अजीत *कुमार चटकार्बार्टी और अन्य मामले में* कलकता उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। निचली अपीलीय अदालत ने बक्शो बनाम *पखर सिंह और एक अन्यें* मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि संहिता के O. 21 के R.90 के तहत बिक्री को रद्द करने की आपत्तियों को प्ष्टि के बाद दायर नहीं किया जा सकता है और ऐसा कोई भी आदेश O. 43, R. 1(j) के तहत अपील योग्य आदेश नहीं होगा। इस निर्णय का अन्पात से लागू नहीं होता है क्योंकि उस मामले में धोखाधड़ी की कोई दलील न दी गई थी और न निर्धारित की गई थी।

(5) धोखाधड़ी हर कार्य को दूषित करती है और धोखाधड़ी

 $^{^{1}}$ AIR 1973 Madras 107.

² AIR 1982, Calcutta 564.

³ AIR 1985 P. & H. 322.

की दलील केवल तभी उठाई जाती है जब यह बात धोखा दिए गए व्यक्ति के ज्ञान में आती है। इस तरह की याचिका जिसे साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना है, पार्टियों को इसे साबित करने का अवसर दिए बिना विचार नहीं किया जा सकता है या सरसरी तौर पर निपटा नहीं जा सकता है। ऐसे मामले में धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रदद करने के लिए आपतियां दर्ज करना बैंक के अधिकार क्षेत्र में था। उस स्थिति में ट्रायल कोर्ट का आदेश मूल रूप से बिक्री को रद्द करने से इनकार करने के समान था और इस प्रकार अपील योग्य था। जैसा भी हो, चूंकि इस प्नरीक्षण याचिका में मामले पर विचार किया गया है. और निष्पादन न्यायालय ने आपत्तिकर्ता को धोखाधडी की दलील को साबित करने का अवसर नहीं दिया था. इसलिए संशोधन याचिका को लागत के बारे में बिना किसी आदेश के स्वीकार किया जाता है। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाता है। मामले को कानून के अन्सार आपत्तियों के निर्णय के लिए निष्पादन न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 11 मार्च. 1991 को निष्पादन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> अंकिता गुप्ता प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी बिलासपुर यमुनानगर

जे.एस.टी.

ए. एल. बाहरी से पहले, जे। सम्पूर्ण सिंह, - अपीलकर्ता। बनाम

मुख्तियार सिंह, - प्रतिवादी। आदेश सं 2008 से प्रथम अपील। 1979 का 95 । 22 फरवरी, 1991।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 - धारा 10 - कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 1976 - पुराने अधिनियम के अंतर्गत दायर क्षतिपूत के लिए कर्मकार का आवेदन - इस बीच पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित अधिनियम - संशोधित अधिनियम जिसमें बढ़े हुए मुआवजे का प्रावधान है - बढ़े हुए मुआवजे का दावा - संशोधन अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रचालन की अविध के दौरान होने वाली दुर्घटना - कर्मकार को बढ़ाया गया है। मुआवज़ा।

- (4) निष्पादन न्यायालय का दृष्टिकोण कि उचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बिक्री की पुष्टि के बाद, संहिता के ओ 21 आर 90 के तहत इसे रद्द करने का कोई भी आवेदन किसी भी आधार पर विचार योग्य नहीं था जिसे आपत्तिकर्ता उस तारीख को या उससे पहले ले सकता था जिस पर बिक्री की घोषणा तैयार की गई थी। संहिता के ओ. 21 आर. 90 का भी उल्लेख किया गया था कि ऐसी किसी भी बिक्री को किसी भी आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए जिसे आवेदक बिक्री से पहले रख सकता था। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान आपत्तिकर्ता पंजाब नेशनल बैंक ऐसी आपत्तियां उठा सकता था जैसा कि सीबीडीई के तहत इसकी प्ष्टि होने से पहले बिक्री को रद्द करने के लिए विचार किया गया था। इसका स्पष्ट उत्तर नकारात्मक है क्योंकि बैंक न तो म्कदमे में और न ही निष्पादन कार्यवाही में एक पक्ष था और इसलिए मुझे ऐसी कोई आपत्ति दर्ज करने की उम्मीद नहीं थी जैसा कि संहिता के तहत विचार किया गया है। वर्तमान मामले में, बैंक ने धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप बिक्री को रदद करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस संदर्भ में पांड्रंगन मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। Dasu
 - (2) एआईआर 1982, कलकता 564।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1992)2

(3) एआईआर 1985 पी एंड एच 322।